


17/4/20
09/12/20

उम्प वरु अत्रयल्लि

अभिलेख के अलोकन से विदित होगा है कि यह वरु अंपल अधिकारी, पटवच्छो के पत्रांत 469 दिनांक 10/07/2019 द्वारा उम्प वरु के वर्णित अधिकारी को लेना गणन किया गया है।

अंपल अधिकारी, पटवच्छो द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रानतीय सिविल जज सुंसफ, कोरगुपा के Title Suit No-62/1993 में प्राप्त आदेश के अलाउ में दाउ (काउ वरु सं- 4599/11-12 में वर्णित अधिकारी की स्वीकृत दाउ (काउ रदद होने के पश्चात अवेदिना के नाम से दाउ (काउ की कार्रवाई की जा सकती है।

अंपल अधिकारी, पटवच्छो द्वारा उम्प वरु के उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रानतीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के विद्वह वर्णित में किसी प्रानतीय वलीय न्यायालय में अपील वरु दाय/ प्रायला संविन है या नहीं इस संबंध में योगे पक्षों से नोटिस डिग्न कर अंपल अधिकारी, पटवच्छो द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही उम्प प्रानतीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के अलाउ में विपदागुणा विद्वह उक्ति अपनारी हुए अधिकारी की दाउ (काउ करनी है अंपल अधिकारी स्वयं लक्ष्य है। ऐसी में वरु की कार्रवाई समाप्त किया जागा है। आदेश में उक्ति अंपल अधिकारी, पटवच्छो को अंके 

L.R.D.C